EAST CENTRAL RAILWAY | पूर्व मध्य रेल | EAST CENTRAL RAILWAY

मास्टर परिपत्र सं0.63 / 19
अद्यतन 08 / 2019

PCPO's Sl.No.173/2019

No. E/207/O/ECR/HJP

Dated:-26.09.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे. हाजीपुर।
3. DRM/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
7. Sr.DPO/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
9. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : रेलों में पेंशन अदालतों का आयोजन – मास्टर परिपत्र में संशोधन।
संदर्भ : Railway's Boards Lt.No.ई (डब्ल्यू) 2019 / पीए.1 / 2 Dated: 20.08.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(सौरभ सावर्ण) 26.9.19
वकाधि / ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित :–.

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे. / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस0.सी0. / एस0.टी0. / एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ.बी.सी.एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व–मध्य रेल, हाजीपुर

28 AUG

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं० 05

मास्टर परिपत्र सं.63/95
अद्यतन 08/2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई (डब्ल्यू) 2019/पीए-1/2 — नई दिल्ली, दिनांक: 20.08.2019

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

072219
29 AUG 2019

विषय: रेलों में पेंशन अदालतों का आयोजन - मास्टर परिपत्र में संशोधन।

वर्तमान में भारतीय रेलों में पेंशन अदालतों के आयोजन से संबंधित आदेशों को बोर्ड के दिनांक 12.10.1995 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू)95/पीए-1 के तहत जारी किए गए मास्टर परिपत्र सं.63 में संकलित किया गया है। तब से, पेंशन अदालतों के आयोजन के मामले में कई अनुदेश जारी किए गए हैं। इन मौजूदा आदेशों/परिपत्रों को अद्यतन मास्टर परिपत्र में समेकित किए जाने के मुद्दे पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में विचार किया गया है। अब इस विषय पर सभी संबंधितों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए एक समेकित संशोधित मास्टर परिपत्र जारी करने का विनिश्चय किया गया है।

2. पेंशन अदालतों के आयोजन का उद्देश्य पेंशनरों की शिकायतों की जांच करना है ताकि उनकी लंबित पावने की राशि, यदि कोई हो, के भुगतान के निपटान में शीघ्र निर्णय लेने और विलंब, यदि कोई हो, को कम किया जा सके। इस तरह के कार्य से पेंशनभोगियों के मन में अच्छी भावना को पैदा करने के दूरगामी परिणाम होंगे और इस तरह उनकी उपेक्षा और अलगाव की भावना को दूर किया जा सकेगा।

3. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, जो केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की देखरेख के लिए नोडल विभाग है, द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रेलवे बोर्ड द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश परिपत्रित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं: -

Please circulate.

3.1 सामान्यत: रेलों/उत्पादन इकाइयों में प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर या 15वें दिन अवकाश होने पर उससे अगलें दिन कार्य दिवस को पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाना चाहिए। हालांकि, यह तारीख पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निर्देशों के आधार पहले या बाद में निर्धारित की जा सकती है।

3.2 प्रिंट और विजुअल मीडिया तथा प्रमुख स्थानों पर पोस्टर जैसे अन्य साधनों के माध्यम से अग्रिम रूप से इसका व्यापक और पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए ताकि पेंशनभोगी इन अदालतों में अपने मामले समय पर भेज सकें जिन पर विचार किया जा सके। यह आवश्यक है क्योंकि विभिन्न रिकॉर्डों के संदर्भ में कई बार शिकायत के निवारण के लिए आवश्यक हो सकता है। इस प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए:

(क)	पेंशन अदालत की तारीख, स्थान, अदालत के समय और अधिकारी के नाम जिनके पास शिकायतें प्रस्तुत की जानी है, के बारे में प्रिन्ट और विजुअल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से रेलवे के माध्यम से नोटिस जारी करना।	प्रत्येक वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह तक
(ख)	पेंशनभोगी द्वारा शिकायतें प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, जो कि उक्त उल्लिखित अधिसूचना में इंगित की जानी चाहिए।	प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक

3.3 पेंशनभोगियों के अभ्यावेदनों की पावती दी जाए जिसमें पेंशन अदालतों की तारीख, स्थान और समय का उल्लेख हो।

3.4 पेंशन अदालतों का आयोजन वरिष्ठतम अधिकारी स्तर अर्थात महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रधान वित्त सलाहकार और डीआरएम/एडीआरएम, कार्मिक, लेखा और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के स्तर पर किया जाना चाहिए। इन पेंशन अदालतों में बैंक/अन्य पेंशन संवितरण प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

3.5 पेंशन संबंधी काम करने वाले सभी अधिकारी अर्थात कार्मिक और लेखा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्रीय या मंडल मुख्यालय के पेंशन-संवितरण बैंक के प्रबंधक के पास सभी संगत रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि शीघ्र निर्णय लिए जा सकें।

3.6 पेंशन अदालतों में उपस्थित अधिकारियों को शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ऐसी बैठकें नीतिगत मामलों के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत पेंशनभोगी की विशिष्ट शिकायतों से

निपटना चाहिए, जिसके बारे में पेंशनभोगी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या पेंशनभोगी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा उल्लेख किया जाए।

3.7 इन पेंशन अदालतों में पूर्ण रूप से कानूनी मामलों अर्थात उत्तराधिकार आदि पर विचार नहीं किया जा सकता।

3.8 इन पेंशन अदालतों में स्वैच्छिक एजेंसी संबंधी स्थायी समिति (एससीओवीए) और मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों के अधिकृत प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। लेकिन, उन्हें पेंशनभोगियों की शिकायतें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

3.9 हालांकि, अनपढ़ पेंशनभोगियों, विधवाओं, नाबालिगों आदि के मामले में, यह संभव नहीं हो सकता है कि वे अदालत के समक्ष प्रभावी ढंग से मामले तैयार कर सकें और इन्हें प्रस्तुत कर सकें। ऐसे मामलों में, यदि पेंशनभोगी अपने मामले प्रस्तुत करने में सक्षम नही हो और वह अदालत के कार्य के लिए एससीओवीए के प्रतिनिधि की सहायता की मांग करता है, तो एससीओवीए के प्रतिनिधि को इन पेंशनभोगियों की शिकायतें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

3.10 रेलवे में एससीओवीए का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल 2 सदस्य हैं। इसलिए, ऐसा हो सकता है कि क्षेत्रीय रेलों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तारीख पर पेंशन अदालतों के आयोजन के समय रेलवे एससीओवीए में नामांकित व्यक्ति उपलब्ध न हो। ऐसे मामलों में, एससीओवीए के प्रतिनिधियों, एससीओवीए के सदस्य के द्वारा यथा प्राधिकृत और जिनके क्रिडेंशियल अग्रिम तौर पर रेलवे प्रशासन को भेज दिए गए हों, को पेंशन अदालतों में भाग लेने और आवश्यक होने पर, मामलों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

3.11 स्वैच्छिक एजेंसी संबंधी स्थायी समिति (एससीओवीए) की 13वीं बैठक में यह उल्लेख किया गया था कि कार्मिक और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एससीओवीए की बैठक में दिया गया समय विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि संबंधित मंत्रालयों के साथ इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है।

जैसा कि रेलवे से संबंधित केवल एक या दो मदें ही कार्यसूची में दिखाई गई हैं, इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि एक या दो मुद्दों की चर्चा के लिए एक अलग मंच का गठन करना वांछनीय नहीं है। हालाँकि, पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधि रेलवे के संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यकता पड़ने पर मिल सकते हैं और मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
(सं.ई(डब्ल्यू)95/पीए/2 दिनांक 19.12.1997)

3.12 यह दोहराया गया कि पेंशन अदालत के आयोजन संबंधी अनुदेशों को ठीक ढंग से लागू किया जाना चाहिए। पेंशनर एसोसिएशन से प्राप्त शिकायतों की पूरी जांच की जानी चाहिए और उन्हें समय पर जवाब भेजा जाना चाहिए। पेंशनभोगियों के मामलों से संबंधित कर्मचारी को पेंशनभोगियों के मामलों का निपटान करते समय बहुत विनम्र और मृदुल होना चाहिए। पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग-दौड़ न करनी पड़े, यदि एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सकता हो। किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध दुराचार या प्रतिकूल व्यवहार की शिकायत मिलने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
(सं.ई(डब्ल्यू)/2001/पीए/1 दिनांक 30.09.04)

3.13 पेंशन और पेंशनर्स एसोसिएशन के सहयोग के लिए, यह विनिश्चय किया गया कि क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालय में सीपीओ (भारतीय रेल), मंडलों में एक डीपीओ और उत्पादन इकाइयों में एक डिप्टी डीपीओ पेंशनभोगियों की एसोसिएशनों के मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी होंगे और एसोसिएशनों तथा व्यक्तिगत पेंशनरों द्वारा उठाए गए पेंशनभोगियों की समस्याओं के निवारण के लिए और उनके अभ्यावेदन का जवाब देने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करेंगे। अन्य इकाइयाँ भी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्तर के अधिकारी को नामित कर सकती हैं। यह भी सलाह दी जाती है कि क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों की संबंधित वेबसाइट पर पेंशन अदालतों आदि से संबंधित अन्य जानकारी पेंशनभोगियों से संबंधित वेब पेज पर पोस्ट की जाए। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित विभागों के कर्मचारियों को भी पेंशनभोगियों के साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
(सं.ई(डब्ल्यू)/2011/पीए-1/4 दिनांक 20.12.2011)

3.14 पेंशन अदालतों के आयोजन और पेंशनभोगियों की शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए अनुदेश कई बार दोहराए गए हैं। पेंशनभोगियों की शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा चिह्नित 27 पेंशनर्स एसोसिएशनों की सूची परिपत्रित की गई थी।
(रेलवे बोर्ड के पत्र सं.ई (डब्ल्यू)/2011/पीए-1/4 दिनांक 21.06.2012 और 17.09.2012)

3.15 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी मामले जो स्वीकार करने योग्य हैं और तर्कसंगत हैं, पेंशन अदालतों के समय ही सुलझा लिए जाएं, लेकिन ऐसे मामलों, जिन्हें इन अदालतों में सुलझाना संभव नहीं है, को पेंशन अदालत के आयोजन की तारीख से तीन माह के भीतर निपटा लिया जाना चाहिए।

3.16 ऐसी शिकायतों के मामलों, जो स्वीकार करने योग्य नहीं हैं/तर्कसंगत नहीं हैं, के लिए पेंशनभोगियों को इन्हें निरस्त करने के कारणों के बारे में लिखित में सूचित किया जाए।

3.17 हालांकि मंडल रेल प्रबंधकों को अपने संबंधित मंडल में तीन महीने में एक बार या इसी प्रकार पेंशन अदालत के आयोजन के अनुदेश दिए जा सकते हैं, तथापि इस शिकायत तंत्र के काम-काज की मुख्यालय स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए।

3.18 पेंशन अदालत के आयोजन के बाद, बोर्ड के दिनांक 17.11.1993 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू)92/पीए-1/1 के तहत यथा निर्धारित प्रोफार्मा मे अपेक्षित विवरण प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक रेलवे बोर्ड में प्रस्तुत किए जाएं।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि हमेशा सामान्य काम के अनुसार सेवानिवृत्ति पर पावने की राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने के प्रयास किए जाएं। पेंशन अदालत में निर्णय के लिए कोई मामला नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि विलंब बिल्कुल अपरिहार्य न हो।

5. चूंकि पेंशन अदालत के संचालन की बोर्ड और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के स्तर पर निगरानी की जा रही है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों का विवेकपूर्ण ढंग से पालन किया जाना चाहिए कि पेंशनभोगियों/पेंशनभोगियों के परिवार की शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाए।

(डी.वी.राव)
निदेशक स्थापना (कल्याण)
रेलवे बोर्ड

इसे निम्नलिखित परिपत्रों से समेकित किया गया है:

1. दिनांक 10.07.1986 डी.ओ.86/एसीII/21/29
2. दिनांक 30.08.1988 86/एसीII/21/29
3. दिनांक 28.10.1982 ई (डब्ल्यू)92/पीए-1-1/1
4. दिनांक 17.11.1993 ई (डब्ल्यू)92/पीए-1-1/1
5. दिनांक 25.04.1994 ई (डब्ल्यू)92/पीए-1-1/1
6. दिनांक 23.11.1994 ई (डब्ल्यू)92/पीए-1-1/1
7. दिनांक 19.12.1997 ई (डब्ल्यू)95/पीए/2
8. दिनांक 30.09.2004 ई (डब्ल्यू)/2001/पीए/1
9. दिनांक 20.12.2011 ई (डब्ल्यू)/2011/पीए-1/4
10. दिनांक 17.09.2012 ई (डब्ल्यू)/2011/पीए-1/4